इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जून 2021—ज्येष्ठ 20, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र. एफ ए-3-27-2017-1-पांच (23).—राज्य सरकार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-27-2017-1-पांच (54), दिनांक 30 जून 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परन्तुक में निम्नलिखित को तालिका में क्र. सं. 2 के बाद अंत: स्थापित किया जाएगा- अर्थात्:—

तालिका

(1)	(2)	(3)	(4)
"3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो.	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत.	मार्च 2021, अप्रैल 2021
4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं.	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत.	मार्च 2021, अप्रैल 2021

(1)	(2)	(3)	(4)
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं.	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत.	मार्च 2021, अप्रैल 2021
6	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं.	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत.	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है.''.

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र. एफ ए-3-27-2017-1-पांच (23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-27-2017-1-पांच (23), दिनांक 10 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2021

No. F A-3-27-2017-1-V-(23).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with Section 148 of the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-27-2017-1-FIVE(54), dated the 30th June, 2017,namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso, in the Table after S.No. 2, the following shall be inserted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year.	9 percent for the first 15 days from the due date and 18 percent thereafter.	March, 2021, April, 2021
4.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (l) of Section 39.	Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 15 days, and 18 percent thereafter.	March, 2021, April, 2021

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (l) of Section 39.	Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 15 days, and 18 percent thereafter.	March, 2021, April, 2021
6.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of Section 39.	Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 15 days and 18 percent thereafter.	Quarter ending March 2021.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of April, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.